II-156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No.----------of ----------

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
25.06.26	आवेदक/आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री विनय कुमार दुबे उपस्थित। अनावेदक/राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक श्री आनंद कमलापुरी उपस्थित। थाना वैढ़न के अपराध क्रमांक 643/26 अंतर्गत धारा 137(2) 87, 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)(Va), 3(1)(wa) एस.सी.एस.टी. एक्ट की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त। उभयपक्षों को आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना गया। आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में यह है कि थाना वैढ़न के द्वारा वाहन मोटरसाईकिल बजाज पल्सर रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी.–66–जे.डी.–7978 को जप्त कर लिया गया है। वाहन जप्त होने से आवेदक/सुपुर्ददार को कार्य संचालन में काफी कठिनाई हो रही है। उक्त वाहन के खुले आसमान में खड़े रहने से उसके कल पुर्जे जंग लगकर खराब होने की संभावना है, जिससे उसे अत्यंत आर्थिक क्षति होगी। आवेदक सुपुर्दगी पर वाहन लेने के उपरांत न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन किया जायेगा इसलिये जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गयी है। तसलीम अभियोजन की ओर से आवेदन का जबाव न देना व्यक्त करते हुये यह व्यक्त किया गया कि उक्त वाहन साक्ष्य की विषय वस्तु है, आवेदन पत्र निरस्त किया जाये। केस डायरी का परिशीलन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट है कि थाना वैढ़न, जिला सिंगरौली के अपराध क्रमांक–643/26 में विवेचना के दौरान जप्ती पत्रक दिनांकित 31.05.2026 के अनुसार आरोपी मो. शहबाज खान से वाहन मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी.–66–जे.डी.–7978 को जप्त किया गया है। इसी जप्तशुदा वाहन को आवेदक सुपुर्दगी पर लिये जाने की प्रार्थना आवेदन के माध्यम से की जा रही है। प्रकरण में संलग्न वाहन मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी.–66–जे.डी.–7978 के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं बीमा पॉलिसी अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्ती पत्रक दिनांकित 31.05.2026 के अनुसार जप्त वाहन का आवेदक मो.तसलीम स्वामी है तथा वाहन बीमित है। यह सही है कि जप्तशुदा वाहन ज्यादा दिनों तक रखा रहा तो इसके खराब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। मामले के अंतिम निराकरण में समय लगने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा	

सकता तो ऐसे में उचित रख रखाव के अभाव में वाहन के खराब होने की संभावना है। अतः इन सब परिस्थितियों को देखते हुये तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरूद्ध गुजरात राज्य, ए.आई.आर. 2003 सु.को. 638** में प्रतिपादित सिद्धांत के प्रकाश में पंजीकृत स्वामी की ओर से आवेदक को वाहन को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित होगा। फलतः आवेदक **मो. तसलीम पिता मो. चांद खान** की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है--

1. आवेदक वाहन को सुपुर्दगी पर लेने के उपरांत उसके रंग एवं रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा तथा विक्रय नहीं करेगा।
2. जब--जब न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जायेगा, वह स्वयं के व्यय को वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

यदि उपरोक्त शर्तों सहित आवेदक की ओर से 1,50,000/-- रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये) का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत हो तो प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को **आवेदक मो. तसलीम** को सुपुर्दनामें पर प्रदान किया जावे।

इस संबंध में थाना प्रभारी थाना वैढ़न, जिला सिंगरौली को पत्र जारी हो।

थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि चूँकि घटना के समय वाहन का उपयोग किया गया था। अतः वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने के पूर्व वाहन की विभिन्न कोणों से चारो तरफ से खींचे गये फोटोग्राफ्स मय पंचनामा न्यायालय में प्रस्तुत करे।

विविध आपराधिक प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण का अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा हो।

25.6.26

(श्रीमती कंचन गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट
जिला--सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न(म.प्र.)